संसद के समक्ष अभिभाषण – 23 मार्च 1971

लोक सभा	-	पांचवीं लोक सभा
सत्र	-	पांचवें आम चुनाव के पश्चात् पहला सत्र
भारत के राष्ट्रपति	-	श्री वी.वी. गिरि
भारत के उपराष्ट्रपति	-	श्री गोपाल स्वरूप पाठक
भारत की प्रधानमंत्री	-	श्रीमती इंदिरा गांधी
लोक सभा अध्यक्ष	-	डॉ. जी.एस. ढिल्लों

माननीय सदस्यगण,

भारतीय गणराज्य की पांचवीं संसद के संयुक्त सत्र में आपके सम्मुख भाषण करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। इस अवसर पर मैं देश की उन्नति के नए प्रयासों में लग जाने के लिए आपका आह्वान करता हूं।

आम चुनाव ने एक बार फिर दिखा दिया है कि लोकतंत्र में स्थायी राजनीतिक शक्ति का एकमात्र स्रोत जनता है। चुनाव से यह सिद्ध हो गया है कि लोगों को अपने पर और लोकतंत्र की प्रक्रिया पर कितना भरोसा है।

हमारे देशवासियों ने अपना निर्णय ले लिया है। मतदान द्वारा उन्होंने अपनी प्रभुसत्ता दृढ़ता से व्यक्त की है। उन्होंने परिवर्तन के लिए बहुत प्रभावशाली निर्देश दिया है–ऐसे शांतिपूर्ण परिवर्तन का जिससे तेज़ी के साथ देश की गरीबी और समाज के कुछ वर्गों की अलगाव की भावना शीघ्र दूर हो और सबको इसका प्रत्यक्ष आभास हो।

हमने कार्य आरंभ कर दिया है। लेकिन, अब हमें एक बार फिर अपने युग की आवश्यकताओं और देशवासियों की आकांक्षाओं के अनुरूप नए दृष्टिकोण विकसित करने हैं, नई नीतियां निर्धारित करनी हैं, नई रीति अपनानी है।

गरीबी दूर करने की नीति को अपना मुख्य उद्देश्य बनाने की स्पष्ट प्रतिज्ञा के आधार पर ही मेरी सरकार फिर से सत्तारूढ़ हुई है। अब इस ध्येय की प्राप्ति के लिए मेरी सरकार उस घोषणा पत्र में उल्लिखित आर्थिक व सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध है जिसे मतदाताओं का भरपूर समर्थन मिला है।

शीघ्र ही सरकार मतदाताओं के निदेश पर आधारित नीतियां और कार्यक्रम बनाएगी। चौथी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जाएगा। इस समीक्षा से यह जानकारी संभव हो सकेगी कि योजना को क्या नया रूप दिया जाए जिससे कि अर्थव्यवस्था में पूंजीविनियोजन की गति बढ़ सके और उसका प्रभावकारी उपयोग किया जा सके। साथ ही साथ सरकार यह भी निश्चित कर सकेगी कि विकास कार्यक्रमों को किस प्रकार सुदृढ़ किया जाए जिससे बेरोजगारी की समस्या हल करने में ठोस सहायता मिले। रोजगार बढ़ाने के व्यापक कार्यक्रम का केन्द्रबिंदु गांव में रोजगार दिलाने का वह कार्यक्रम होगा जिस पर अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ से काम शुरू होगा। यह कार्यक्रम खेती की पैदावार बढ़ाने की योजनाओं से संबद्ध होगा और इसके अंतर्गत सिंचाई के छोटे साधनों का निर्माण और नवीकरण तथा पीने का पानी देने और योजक सड़कें बनाने जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी होगी। शिक्षित वर्ग की बेरोजगारी की समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

मेरी सरकार का यह निश्चित मत है कि समतावादी सामाजिक व्यवस्था एवं अधिक से अधिक कृषि उत्पादन के लिए भूमि सुधार अत्यंत आवश्यक है। पिछले महीनों में मेरी सरकार ने भूमि सुधार से संबद्ध कई मसलों पर विशेष ध्यान दिया है। केन्द्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय भूमि सुधार समिति बनाई गई है। भारत सरकार के मार्गदर्शन के फलस्वरूप उन राज्यों ने भी जहां मध्यवर्ती पट्टेदारी अभी तक पूर्णरूप से समाप्त नहीं हो पाई थी, उसे समाप्त करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा कुछ राज्यों ने पट्टेदारी को सुरक्षित रखने, लगान की कमी और जोत की अधिकतम सीमा कम करने और छूट पर पाबंदी लगाने के बारे में कानून बनाए हैं।

भूमि सुधार का विषय राज्यों के विधायी अधिकार-क्षेत्र में आता है, फिर भी मेरी सरकार राज्य सरकारों से बराबर अनुरोध करती रहेगी कि वे ग्राम व्यवस्था को सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से अधिक न्यायसंगत बनाने के लिए आगे कार्रवाई करें। साथ ही सरकार शहरी संपत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करने के उद्देश्य को पूरा करने में लगी रहेगी।

मेरी सरकार का एक महत्वपूर्ण ध्येय यह है कि पैदावार बढ़ाने के लिए ऋण की सुविधाएं उन इलाकों और वर्गों तक पहुंचाई जाएं जिनकी अब तक उपेक्षा की जाती रही है। हाल ही में एक व्यापक ऋण गारंटी योजना आरंभ की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन ऋण गारंटी निगम की स्थापना की गई है। यह निगम 1 अप्रैल, 1971 के वाणिज्य एवं सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले छोटे ऋणों पर लगभग 75 प्रतिशत तक की गारंटी दे सकेगा। पहले उत्पादक उद्योगों व खेतीबाड़ी को मुख्य रूप से साहूकारों पर निर्भर होना पड़ता था। अब बैंक इनकी वास्तविक आवश्यकताओं पर

अधिक ध्यान दे रहे हैं। यह निश्चय ही एक नया और महत्वपूर्ण परिवर्तन है जिसके द्वारा जनसाधारण को बैंक राष्ट्रीयकरण के लाभ का प्रत्यक्ष अनुभव हुआ है।

सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने के काम को, और विशेषकर सिंचाई के लिए बिजली के उपयोग को, विशेष महत्व देती है। ग्रामों में बिजली पहुंचाने के कार्यक्रमों में तेजी लाई गई है। इस पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में 2.66 लाख पम्पिंग सैटों के लिए बिजली दी गई थी। चालू वर्ष में यह काम और तेजी से किया गया है। ग्राम बिजली निगम ने लगभग 70 करोड़ रुपये की योजनाएं स्वीकार कर अपने कार्य का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम को भी और आगे बढ़ाया जाएगा।

मेरी सरकार को अच्छी तरह मालूम है कि शहरों में गरीब लोग कितनी बुरी हालत में रह रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक सुधार की कार्य-सूची में गंदी बस्तियों की सफाई और उनके सुधार को मुख्य स्थान दिया जाएगा और इनके लिए सरकार अधिक से अधिक साधन जुटाने का प्रयत्न करेगी। हाल ही में आवास एवं नगर विकास वित्त निगम की स्थापना की गई है और इसके द्वारा बड़े-बड़े नगरों तथा शहरी इलाकों में आवास की सुविधाओं में वृद्धि हो सकेगी।

साथ ही गांवों में मकानों की स्थिति सुधारने पर भी और अधिक ध्यान दिया जाएगा। लक्ष्य यह होगा कि भूमिहीन कामगारों को अधिक संख्या में मकान बनाने की जमीन दी जा सके, आवास भूमि का अधिकार देने का कानून बनाया जाए और देहाती आबादी के लिए अच्छे रहने योग्य मकानों का निर्माण करने में सहायता दी जाए। इस कार्यक्रम में निश्चय ही केन्द्रीय और राज्य सरकारों को मिलकर भाग लेना होगा।

मेरी सरकार के कुछ अन्य प्रस्ताव इस प्रकार हैं:—

(क) उद्योगों के सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में विनियोग (इन्वैस्टमेंट) कार्यक्रमों पर तेजी के साथ अमल करने के रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए विशेष दस्ते नियुक्त किए जाएं और औद्योगिक उत्पादन की दर में वृद्धि की जाए;

(ख) कृषि में नए तकनीकी ज्ञान का सूखी खेती, नई फसलों और नए क्षेत्रों तक विस्तार किया जाए जहां अभी तक वह नहीं पहुंच पाया है। रेशे और तिलहन जैसी बहुत खपत वाली वस्तुओं का तेजी से उत्पादन बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विस्तार कार्यक्रमों की गति को और बढ़ाया जाए;

(ग) मजदूर संघों के नेताओं और प्रबंधकों के परामर्श से स्वस्थ औद्योगिक संबंध विकसित किये जाएं, जिससे उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ कामगारों को न्यायोचित व्यवहार भी मिले। उत्पादन की वृद्धि के लिए औद्योगिक संबंधों में सुधार उतना ही आवश्यक है जितना कि पूंजी और तकनीकी ज्ञान;

(घ) प्रशासनिक तंत्र के स्वरूप और संचालन में ऐसे परिवर्तन किए जाएं जिससे कि अधिकारों का वास्तविक प्रतिनिधान (डेलीगेशन) हो सके और निर्णय शीघ्र लिए जा सके; और

(ङ) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए सुव्यवस्थित प्रबंधक संवर्ग (मेनेजीरियल काडर) का निर्माण करने पर विशेष ध्यान दिया जाए।

भारत की अर्थव्यवस्था में 1969-70 में वृद्धि लगभग नियोजित दर से हुई है और चालू वर्ष में भी इसी प्रकार की वृद्धि का अनुमान है। आशा है कि गत तीन वर्षों की भांति इस वर्ष भी फसल अच्छी रहेगी और पैदावार पिछले वर्ष से 55 लाख टन अधिक होकर साढ़े दस करोड़ टन तक पहुंच जाएगी। गेहूं के उत्पादन में हुई क्रांति सर्वविदित है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने चावल की अधिक पैदावार देने वाली कई किस्में निकाली हैं। नए तकनीकी ज्ञान को किसानों तक हम जितने प्रभावकारी ढंग से पहुंचा पाते हैं उतना ही वह उसे अपनाते हैं।

तथापि, खाद्य स्थिति में जो सुधार हुआ है उससे हमें सिर्फ थोड़ी राहत मिली है। नई जनगणना के परिणाम गम्भीर चेतावनी देंगे कि हमें परिवार नियोजन कार्यक्रम को और अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़ाना है। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए इसे एक आंदोलन का रूप देना होगा। यह अत्यंत आवश्यक है कि शीघ्र से शीघ्र छोटे परिवार के प्रति आस्था हमारा एक नया सामाजिक मानदंड बने। सच तो यह है कि सामाजिक परिवर्तन का जो महान कार्य हमारे सामने है, उसमें प्रमुख स्थान परिवार नियोजन का होना चाहिए।

यद्यपि हमारी अर्थव्यवस्था का सामान्य स्वरूप आशाजनक है मेरी सरकार को इसका पूरा ज्ञान है कि पिछले महीनों में कीमतों के बढ़ने से कुछ चिन्ता उत्पन्न हुई है। थोक मूल्य का सूचक अंक प्राय: एक वर्ष पहले की अपेक्षा अब लगभग 3.4 प्रतिशत अधिक है। लेकिन कीमतों के इस प्रकार बढ़ते रहने पर भी अनाज की कीमतों में लगभग 6.5 प्रतिशत की कमी हुई है। इसलिए जिन चीजों की कमी है, उन्हें बड़ी मात्रा में बाहर से मंगवाकर सरकार ने मूल्य वृद्धि को रोकने की कोशिश की है और साथ ही देश में उनका उत्पादन बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं।

मेरी सरकार देश के विकास में विज्ञान और तकनीकी ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाकर उस पर अमल करने का विचार रखती है। यह योजना मुख्य रूप से हमारी सामाजिक-आर्थिक योजना पर आधारित होगी। इस योजना की एक विशेषता यह होगी कि राष्ट्रीय प्रयास के कुछ ऊंची प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में विस्तृत कार्यक्रम तैयार किये जायेंगे जिनमें विज्ञान और तकनीकी ज्ञान का प्रमुख रूप से उपयोग होगा।

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के संतुलित विकास के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक्स कमीशन की स्थापना की है। यह कमीशन इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और औद्योगिक कार्य से संबंधित होगा।

मेरी सरकार को इस बात की चिंता है कि तीव्र आर्थिक विकास के फलस्वरूप वायु, जल और धरती दूषित न होने पाए। प्राकृतिक साधनों का प्रबंध विवेकपूर्ण ढंग से होना चाहिए और इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि जीवन और परिस्थितियों का पारस्परिक संतुलन न बिगड़ने पाये।

देश के कुछ भागों में साम्प्रदायिक तनाव रहने और कभी-कभी हिंसात्मक उपद्रव होने से हमारी धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र तथा सभ्य जीवन के आधारभूत मूल्यों के लिये खतरा पैदा होता है। सरकार इस खतरे पर काबू पाने के लिए कृतसंकल्प है। यह राष्ट्र के जीवन-मरण का प्रश्न है और इसलिए यह आवश्यक है कि इस समस्या के समाधान को राष्ट्रीय महत्व का कार्य माना जाये।

पिछले दिनों पश्चिमी बंगाल में हिंसा बढ़ी है। स्वतंत्रता संग्राम के हमारे एक वरिष्ठ व कर्मठ साथी श्री हेमंत कुमार बसु तथा अन्य राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या से हम सभी को आघात पहुंचा है। समाज विरोधी गुट प्राय: राजनीतिक ढोंग रचकर बदला लेने की भावना से काम करते हैं। फिर भी, पश्चिमी बंगाल में हाल के चुनावों के परिणामों से साफ पता चलता है कि लोगों ने लोकतंत्र में अपनी आस्था पुन: स्थापित की है।

मेरी सरकार का यह दृढ़ निश्चय है कि वह अव्यवस्था और हत्या तथा हिंसा की 'राजनीति' को समूल नष्ट करेगी। इसके साथ ही वह निजी और सरकारी विनियोग की सहायता से कलकत्ता* के कायाकल्प करने के कार्यक्रम पर तेजी से काम करने का विचार रखती है। कलकत्ता* महानगर विकास अधिकरण ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है। औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम भी शीघ्र स्थापित होने वाला है। पश्चिमी बंगाल में विकास के और भी कार्य आरम्भ किये जा रहे हैं।

पश्चिमी बंगाल भूमि सुधार (संशोधन) अधिनियम जुलाई, 1970 में पास किया गया था जिसके अनुसार, फसल में बटाइदार का हिस्सा बढ़ा दिया गया है, और भूमि पर खेती करने और उस पर विरासत पाने का उसका अधिकार सुरक्षित कर दिया गया है। जोत की अधिकतम सीमा कम करने और परिवार को इकाई मानकर उसे नियत करने की दृष्टि से हाल ही में एक राष्ट्रपति अधिनियम बना दिया गया है।

आप जानते ही हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के बहुमत निर्णय से भूतपूर्व रियासतों के राजाओं की मान्यता समाप्त करने के आदेश रद्द घोषित कर दिये गये हैं। फिर भी,

---

*अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है।

राजाओं के प्रिवी पर्सों और उनके विशेषाधिकारों को समुचित सांविधानिक उपायों द्वारा समाप्त करने के सरकार के निश्चय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कहीं आशा है कहीं निराशा। पश्चिमी और पूर्वी यूरोप के देशों के बीच तनाव में कमी हुई है। जर्मन संघ गणराज्य और सोवियत संघ तथा पोलैंड की सरकारों के बीच हुए समझौतों का हम स्वागत करते हैं। लेकिन दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में स्थिति बिगड़ी है।

हिन्द-चीन में स्थिति और बिगड़ी है। कम्बोडिया और लाओस में युद्ध क्षेत्र बराबर बढ़ ही रहा है, जो शांति के हित में नहीं है। हमारा हमेशा यह अनुरोध रहा है कि सावधानी से काम लिया जाये। हमने इस बात पर जोर दिया है कि जेनेवा समझौते के अंतर्गत शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत के द्वारा ही समस्या का हल किया जाये। हमारा विश्वास है कि सबसे अच्छा हल यह होगा कि एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हो, जिस पर संसार की बड़ी शक्तियों और इस क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले दूसरे देश हस्ताक्षर करें।

पश्चिम एशिया में विराम-संधि के होते हुए भी बेचैनी है। संयुक्त अरब गणराज्य ने हाल ही में कुछ एक कदम उठाकर यह स्पष्ट किया है कि वह वास्तव में सुरक्षा परिषद के 22 नवम्बर, 1967 के प्रस्ताव पर अमल करना चाहता है। मेरी सरकार को आशा है कि इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया होगी।

हिन्द महासागर में विदेशी शक्तियों द्वारा सैनिक अड्डे बनाने और दक्षिण अफ्रीका को हथियारों की प्रस्तावित बिक्री से हमें चिंता हुई है। लुसाका घोषणा के अनुसार हम चाहते हैं कि हिन्द महासागर शांति का क्षेत्र बना रहे और सैनिक मुठभेड़ और बड़े राष्ट्रों की होड़ से बचा रहे।

हाल ही में इंडियन एयरलाइन्स के विमान के अपहरण और बाद में उसे नष्ट कर देने के संबंध में पाकिस्तान सरकार के रवैये पर भारत सरकार और यहां की जनता में गहरा रोष था। इस प्रकार भड़काने वाली कार्यवाहियों से मित्रता और आपसी समझ-बूझ पैदा नहीं हो सकती, जोकि हम चाहते हैं।

मेरी सरकार अंतर्राष्ट्रीय गुटबंदी से अलग रहने की अपनी नीति पर अडिग रहेगी और उसका निर्भयता से पालन करेगी। जब कभी शांति को खतरा होगा, स्वतंत्र देशों की स्वाधीनता नष्ट होगी, और उपनिवेशवाद को उसके पुराने या नये रूप में लाने की कोशिश की जायेगी, मेरी सरकार आवाज उठायेगी।

आपका यह सत्र छोटी अवधि का होगा जिसमें आवश्यक वित्तीय और बजट संबंधी कार्य ही निपटाए जायेंगे। आगे के कार्यक्रम के लिए आप कुछ समय बाद फिर एकत्रित होंगे। 1971-72 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की आमदनी और खर्च का ब्यौरा आपके सामने रखा जायेगा। हिमाचल राज्य (संशोधन) अध्यादेश, 1971 तथा

श्रम भविष्य निधि नियम (संशोधन) अध्यादेश, 1971 के स्थान में सरकार बिल प्रस्तुत करेगी। आयात और निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 को जारी रखने के लिए भी संसद के इसी सत्र में बिल प्रस्तुत किया जायेगा।

माननीय सदस्यगण, भारत की जनता ने स्पष्ट शब्दों में अपना निर्णय दिया है। इस निर्णय के साथ ही राजनीतिक अनिश्चितता और दांवपेच की राजनीति समाप्त होती है। चुनाव की सरगर्मी के बाद अब हमें अपने देशवासियों की सेवा में लग जाना चाहिये। हम सबको इसका गर्व है कि राजनीतिक लोकतंत्र और संसदीय संस्थाओं का विकास हुआ है और उनकी जड़ें हमारे देशवासियों के दिलों और दिमागों में गहरी बैठ गई हैं। जनता की इच्छा का आदर करते हुए हमें लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाना चाहिये।

मेरी सरकार को जो भारी बहुमत मिला है, वह उस लंबी और कठिन यात्रा का पहला कदम है जिसे हमें तय करना है। गरीबी और सामाजिक अन्याय के विरुद्ध लड़ाई में विजय पाने के लिए हमारे लाखों-करोड़ों देशवासियों को बड़ी लगन और निष्ठा के साथ परिश्रम करना होगा। मुझे विश्वास है कि संसद के सदस्यगण और भारत की जनता समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग देगी।